



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहामाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 3360
प्रति,

बिलासपुर, दिनांक 15.12.2022

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

(भू-प्रबंध)

अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय:- जांजगीर-चांपा जिले के जांजगीर-चांपा वनमंडल, अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Raigarh Mining & Beneficiation Private Limited द्वारा Construction of Road for Raigarh Mining हेतु क्षेत्रफल - 0.997 हे. पंजीयन बाबत।

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/145811/2021

संदर्भ - आपका पत्र क्र./भू-प्रबंध/2831 दिनांक 07.12.2022 एवं वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चाम्पा का पत्र क्र./तक./7362 दिनांक 15.12.2022

-----0:-----

विषयांतर्गत लेख है कि आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी रायगढ़ माइनिंग एण्ड बेनिफिसियेशन प्राइवेट लिमिटेड जांजगीर के द्वारा आवेदित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 रकबा 0.997 हे. के प्रस्ताव में वांछित 05 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चाम्पा के द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित किया गया है।

संलग्न - वनमण्डलाधिकारी का पत्र क्र.7362 दिनांक 15.12.2022 की प्रति।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 15.12.2022

पृ.क्र./तक./ 3361

प्रतिलिपि -

1. वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल, जांजगीर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. Raigarh Mining & Beneficiation Private Limited, बाराद्वार, जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर



कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, जांजगीर-चाम्पा

तहसील रोड, जगदल्ला चांपा (छ.ग.) पिन- [495671]

कार्यालयीन ई-मेल-dfo-jchampa.cg@gov.in, dfo_jchampa.rediffmail.com

क्रमांक/तक.अधि./7362
प्रति,

चांपा/दिनांक.15/12/2022

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त,
बिलासपुर (छ.ग.)

- विषय:-** जांजगीर-चांपा जिले के जांजगीर-चांपा वनमंडल, अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Raigarh Mining & Beneficiation Private Limited द्वारा Construction of Road for Raigarh Mining हेतु क्षेत्रफल - 0.997 हे. पंजीयन बाबत।
- पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/145811/2021.
- संदर्भ -** अ.प्र.मु.व.सं. - भू-प्रबंध/व.सं.अ. छ.ग. रायपुर का प.क्र./2831 दिनांक 07.12.2022.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार जांजगीर-चांपा जिले के जांजगीर-चांपा वनमंडल, अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Raigarh Mining & Beneficiation Private Limited द्वारा Construction of Road for Raigarh Mining हेतु क्षेत्रफल - 0.997 हे. पंजीयन किया गया है। संबंधित प्रकरण में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है

क्र.	आपत्ति.	निराकरण
1.	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 10 में प्रस्तावित कार्य हेतु सर्वे किये गये तीन विकल्पों का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। किंतु प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 42 में इससे संबंधित नक्शों में चिन्हांकन कर तत्संबंधी नक्शा प्रदाय नहीं किया गया है कृपया बिन्दु क्र. 10 में उल्लेखित तथ्यों के अनुरूप तीन विकल्पों से संबंधित नक्शा/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	तीन विकल्पों से संबंधित नक्शा/प्रमाण पत्र संलग्न है।
2.	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 16 में स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु निम्नानुसार लेख किया गया है:- "आवेदित वन भूमि 0.997 हे. क्षेत्र में वृक्षों का विदोहन नहीं होना है। आवेदक संस्थान के कथन अनुसार स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 07 वर्षीय मय उपचार मानचित्र अक्षांश, देशांश प्रजाति विवरण सहित जो असिंचित क्षेत्र चयनित होगा उसका वनमंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जावेगा।" वहीं प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 52 से 53 में आवेदक संस्थान द्वारा 100 वृक्ष लगाने का वचन पत्र दिया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 16 के अनुसार प्रस्ताव में निर्धारित दर से वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु अनुमोदित प्राक्कलन संलग्न कर दिया गया है।

3.	संदर्भित पत्र के बिन्दु क. 22, 23, 24, 25 में उल्लेखित तथ्य तथा इससे संबंधित पृष्ठ क. 68, 69, 71, 72 में वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदायित प्रमाण पत्र के वर्णन में भिन्नता है। कृपया बिन्दु क. 22, 23, 24, 25 में उल्लेखित तथ्यों के अनुरूप पृष्ठ क. 68, 69, 71, 72 में प्रदायित प्रमाण पत्र को संशोधित कर प्रस्तुत करें।	आवेदक संस्थान द्वारा संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
4.	संदर्भित पत्र के बिन्दु क. 27 में प्रस्ताव के पृष्ठ क. 85 में उल्लेखित प्रमाण पत्र में निम्नानुसार लेख है:- प्रमाणित किया जाता है कि आर.एफ. 42 छितापंडरिया व्यपवर्तन क्षेत्र में 15 कि.मी. की परिधि में कोई भी वन्यप्राणी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र शामिल नहीं है और नहीं ऐतिहासिक स्थल प्रस्तावित नहीं है। उक्त विवरण से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित क्षेत्र के 15 कि.मी. की परिधि में ऐतिहासिक महत्व का स्थल प्रस्तावित है अथवा नहीं कृपया स्पष्ट उल्लेख करते हुए संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।	संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
5.	संदर्भित पत्र के बिन्दु क. 33 में उल्लेखित तथ्य तथा वनमंडलाधिकारी द्वारा पृष्ठ क. 97 में प्रदायित प्रमाण पत्र के वर्णन में भिन्नता है। कृपया बिन्दु क. 33 के अनुरूप पृष्ठ क. 97 में प्रदायित प्रमाण पत्र को संशोधित कर प्रस्तुत करें।	संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

क्रमांक/तक.अधि./ 7363
प्रतिलिपि -

1. अ.प्र.मु.व.सं. -भू-प्रबंध/व.सं.अ. छ.ग. रायपुर सूचनार्थ अग्रेषित।

2. Director, Raigarh Mining & Beneficiation Private Limited hatri Chouk, Sariya Disst- Raigarh(CHHATTISGARH)को सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलधिकारी
जांजगीर-चांपा वनमण्डल
चाम्पा, दिनांक : 15/12/2022

वनमण्डलधिकारी
जांजगीर-चांपा वनमण्डल

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है की मेसर्स रायगढ़ माइनिंग एंड बेनीफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड इमरपारा द्वारा न्युनतम तीन विकल्पो का अध्ययन किया गया है जिसमें से एक ही विकल्प वन क्षेत्र आर ऍफ़ 42 छितापंडरिया रकबा 0.997 है. का चुनाव किया गया है जो तीन विकल्प का विवरण निम्न अनुसार है ।

क्र	कक्ष क्र	रकबा
1.	RF 42 छितापंडरिया	0.997 है.
2.	RF 42 छितापंडरिया	1.000 है.
3.	RF 42 छितापंडरिया	1.020 है.

वनमंडलाधिकारी
राजगीर-घंटा वनमंडल

Raigarh Mining and Beneficiation Pvt. Ltd.
Director